



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 41 राँची, मंगलवार, 14 माघ, 1947 (श०)
3 फ़रवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 जनवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-1-29/2019 का० 461--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-179/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हेहल, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-2498, दिनांक 27.07.2023 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची द्वारा गठित आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र में श्री सिंह के विरुद्ध आदिवासी रैयत के नाम से दर्ज भूमि को गैर आदिवासी के नाम से उत्तराधिकारी नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करना, सरकारी भूमि (जय प्रकाश उद्यान) की सुरक्षा नहीं कर भू-माफियाओं की मिलीभगत से उक्त भूमि पर कब्जा करने में उन्हें सहयोग एवं सहायता प्रदान करना, आदिवासी खाते की भूमि को गैर आदिवासी को हस्तांतरण करना आरोप प्रतिवेदित है।

2. श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प सं०-25522(HRMS), दिनांक 17.05.2024 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा के पत्रांक-540, दिनांक 14.07.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

5. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही/अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को **Exhibit** नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है।

6. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-18(1) के तहत दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों /सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ।

8. श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः आगे जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

9. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-25522(HRMS), दिनांक 17.05.2024 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्ता, राँची उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किये गये हैं।

10. श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

11. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० एवं श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव।
